

परियोजना का नाम :- अल्मोड़ा में विकासखण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में माँसी-गैरखेत से परथोला (लिंक रूट) मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - कनौजी
तहसील-चौखटिया, जिला- अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत माँसी-गैरखेत से परथोला (लिंक रूट) परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.333 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.504 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.837 हे० वन भूमि का लो०नि०वि०, निर्माण खण्ड, सल्ट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा ... दिनांक 24-01-2013 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.837 हे० लो०नि०वि०, निर्माण खण्ड, सल्ट को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत कनौजी
न्याय पंचायत - माँसी
विकास खण्ड चौखटिया - अल्मोड़ा


विमला वर्मा
प्रधान
ग्राम पंचायत कनौजी
न्याय पंचायत - माँसी
विकास खण्ड चौखटिया - अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान / सरपंच



सरपंच
सोरेस्ट पंचायत कनौजी,
पट्टी-त० गेवाह, पो०-माँसी,
जिला - अल्मोड़ा.

प्रारूप-30.4

दिनांक 21/01/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कनौजी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	विमला देवी	विमला
2	शंकर	Rajendra
3	कमला देवी	कमला देवी
4	पंकज कुमार	Pankaj
5	बालीराम	बालीराम
6	दामोदर	दामोदर
7	दीपक वर्मा	दीपक
8	श्रीधर सिंह	Shrihar Singh
9	रमेश सिंह	रमेश सिंह
10	दामोदर	दामोदर
11	गोविंद सिंह	Govind
12	सूरज सिंह	सूरज सिंह
13	हरीश सिंह	हरीश
14	विमला वर्मा	विमला वर्मा
15	जसवन्ता राम	Jaswant Ram
16	शोभा देवी	शोभा देवी
17	दारा राम	दारा राम
18	सुरेश चंद्र वर्मा	Suresh
19		
20	श्री शंकर देवी	
21	चन्दन सिंह	Chandan Singh
22	रमेश सिंह	रमेश सिंह
23	सूरज सिंह	Suresh
24	मालती देवी	मालती देवी
25	जीवन चंद्र वर्मा	

ह0/-
ग्राम प्रधान
विमला वर्मा
प्रधान
ग्राम पंचायत कनौजी
न्याय पंचायत - मासी
विकास खण्ड कनौजी - गेहवा

परियोजना का नाम :- अल्मोड़ा में विकासखण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मौसी-गैरखेत से परथोला (लिक रुट) मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - गोगला
तहसील-चीखुटिया जिला- अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मौसी-गैरखेत से परथोला (लिक रुट) परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.333 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.504 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.837 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० निर्माण खण्ड, सल्ट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा गोगला दिनांक 25.11.19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसका अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.837 हे० लो०नि०वि० निर्माण खण्ड, सल्ट को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत
गोगला
25/11/19

कुलसी
प्रधान
ग्राम पंचायत गोगला
वि:ख.चीखुटिया (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान/सरपंच

Rh...
सरपंच
कोरेस्ट पंचायत कनौली,
रहो-त० देवाच, पो०-बाबी,
जिला - अल्मोड़ा.

प्रारूप-30.4

दिनांक 25.1.19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत गोगता

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री शिवरत्न नेध जी	शिवरत्न जुयाल
2-	नेपासाल	Neepasal
3-	हीरावल्लभ जुयाल	हीरा लल्लभ
4-	नेपासदन्त जुयाल	नेपासद जुयाल
5-	हरीश चन्द	हरीश चन्द
6-	कृपाल देव	कृपाल देव
7-	गुणचन्द	गुणचन्द
8-	हरीदत्त पंत	हरीदत्त पंत
9-	लीलारत्न जी	लीलारत्न जी
10-	नन्दगोखर पंत	नन्दगोखर पंत
11-	सतीश चन्द कलाल	सतीश चन्द
12-	प्रकाश चन्द	प्रकाश चन्द
13-	नन्दकिशोर पंत	नन्दकिशोर पंत
14-	गोविन्द चन्द देवतल्ल	गोविन्द चन्द
15-	हरीदत्त जुयाल	हरीदत्त जुयाल
16-	चन्द नेध	चन्द नेध
17-	नन्दी देवी जुयाल	नन्दी देवी
18-	मधुसूदन देवतल्ल	मधुसूदन देवतल्ल
19-	इश्वर चन्द	इश्वर चन्द
20-	मोहन चन्द जुयाल	मोहन चन्द
21-	श्रीमती दीपिका पंत	श्रीमती दीपिका पंत
22-	दलपत चन्द	दलपत चन्द

कुलसी
प्रधान
ग्राम पंचायत गोगता
वि.ख.चीखुटिया (अल्मोड़ा)

ह0/-
ग्राम प्रधान

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- अल्मोड़ा में विकासखण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मौसी-गैरखेत से परथोला (लिंक रूट) मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - परथोला
तहसील- स्याल्दे, जिला- अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मौसी-गैरखेत से परथोला (लिंक रूट) परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि 0.333 हे० सिविल सोयम भूमि 0.504 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.837 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० निर्माण खण्ड, सल्ट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा परथोला दिनांक 29/11/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिथत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम परथोला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.837 हे० लो०नि०वि० निर्माण खण्ड, सल्ट को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सुरेश
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र परथोला
वि० ख०-स्याल्दे (अल्मोड़ा)

मि० वा० ग०
प्रधान
ग्राम पंचायत परथोला
वि० ख०-स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान/सरपंच
सुरेश
क्षेत्र पंचायत परथोला
दिनांक

प्रारूप-30.4

दिनांक 29/11/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत (परथोला)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रमजित कंगर	Ramjit
2	[Redacted] सिंह कान्हाजी	[Redacted] कान्हाजी
3	श्री लालचन्द	Lalchand
4	श्री लालचन्द	Lalchand
5	राज कृष्ण अधिकारी	Raj Krishna
6	बहादुर सिंह अधिकारी	Bahadur Singh
7	सीमा अधिकारी	Siima
8	लालचन्द अधिकारी	Lalchand
9	लालचन्द	Lalchand
10	श्री शंकर लाल	Shankar Lal
11	किशोरी लाल	Kishori Lal
12	बेबल लाल	Bebal Lal
13	पंकज लाल	Pankaj
14	आनन्द सिंह	Anand Singh
15	इमली देवी	Imli Devi
16	लक्ष्मण सिंह	Lakshman Singh
17	दमाल सिंह कंगारी	Damal Singh
18	चन्दन सिंह कंगारी	Chandana Singh
19	नारायण सिंह कंगारी	Narayan Singh
20	[Redacted] सिंह लक्ष्मी देवी	[Redacted] लक्ष्मी देवी

- 21 [Redacted]
- 22 अलकेश सिंह
- 23- देवप्रिया
- 24 गंगा राम
- 25 देव प्रिय

ह0/-
ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत परथोला
पि0ख0-स्याल्दे (अल्मोड़ा)